प्रतिलिपि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 (भाग 1) [illegible]

गांव/गांवों सिकन्दरपुर [illegible] परगना — तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

					मूल जोत												प्रस्तावित जोत						
						कार्य क्षेत्र																	
चक सं./क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पितृ नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ग	भौमिक अधिकार के प्रारम्भ होने का वर्ष	जोत चकबन्दी आकार-पत्र (11 की खाता संख्या)	गाटा संख्या	कुल जोत	जोत चकबन्दी में सम्मिलित नहीं है।	जोत चकबन्दी में सम्मिलित है।	विनिमय अनुपात	चकबन्दी किये जाने वाले अथवा गांव के भागों का आना मूल्यांकन	जोत की माल गुजारी	स्तम्भ 11 के जोत पर योग X अंशदान या प्रतिशत/100	सार्वजनिक प्रयोजनों के हेतु अंशदान क्षेत्रफल में (स्तम्भ 13X19) (स्तम्भ 11)	माल गुजारी जो भूमि के अंशदान के कारण कम की जाये (स्तम्भ 14X स्तम्भ 12 स्तम्भ 6) जोत के योग पर	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त भूमि के प्रकार की धनराशि स्तम्भ 15 X धार 29 ख अधीन नियम गुणांक	प्रविष्ट किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन (स्तम्भ 1) जोत के योग	भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	मूल्यांकन (आनों में)	मालगुजारी	विशेष विवरण
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
२५३	कामता-चन्दा पत्नी बाबूराम नि० रोहालकी - किशनपुर पर० ज्वालापुर	सं०भू०	१३८२ फ०	१८१	८७/१	०.१३०	०.१३०	—	—	—					—	— चकबन्दी बाहर				—		२१.५०	
					८७/२	१.३८२	१.३८२	—	—	—													
					२कि०	१.५१२	१.५१२	—	—	—	२१.५०												

आदेशानुसार सं०प०अ० वाद सं० 102+103/25/4/07 धारा-52 में आदेश हुआ कि चक सं० 253 के भूखण्ड सं० 871/0.130, 872/1.382 कुल 2 कि० 1.512 हे० से विक्रेता कामता-चन्दा पत्नी बाबूराम नि० रोहालकी किशनपुर का नाम खारिज करके क्रेतागण श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी मेरठ व श्री वाद इरशाद खां पुत्र वाद [illegible] खां निवासी ग्राम [illegible] व रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास निवासी देहरादून का नाम [illegible] बैनामा सं० 13205/5-12-06, 13203/5-12-06 और संशुद्ध दर्ज किया जाये।
ह० [illegible]
30/4/07

विक्रयनामानुसार सं०प०अ० वाद सं० 168/27/8/07 धारा-52 के आदेश हुआ कि चक सं० 253 के भूखण्ड सं० 871/0.130, 872/1.382 के अंश रकबा 871/0.090, 872/0.320 कुल रकबा 0.4100 हे० (यानि विक्रीत रकबा का 2/3 हिस्सा 0.2733 हे०) से विक्रेता हरीश शर्मा पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मेरठ व वाद इरशाद खां पुत्र वाद [illegible] खां निवासी ग्राम [illegible] का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी हरीश शर्मा नि० मेरठ व वाद साजिद खां पुत्र वाद इरशाद खां नि० ग्राम [illegible] का नाम [illegible] बैनामा सं० 1641/3-2-07 आदि संशुद्ध दर्ज हो।
ह० [illegible]
27/8/07

आदेशानुसार सं०प०अ० वाद सं० 88/30-12-13 धारा-52 में आदेश हुआ कि चक सं० 253 के गाटा सं० 871/0.090, 872/0.320 कुल 2 कि० 0.410 से विक्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी हरीश शर्मा नि० फूलबाग कालोनी मेरठ व वाद साजिद खां पुत्र वाद इरशाद खां नि० ग्राम [illegible] व रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास नि० 16/1 पटेल नगर रोड देहरादून का नाम खारिज करके क्रेता मैसर्स उत्कर्ष समिति 2 द राजपुर रोड देहरादून रजिस्ट्रेशन सं० 22346 पंजीकरण सं० 19945 द्वारा सचिव डा० प्रदीप कुमार पुत्र डा० रतन लाल नि० 15 शास्त्रीनगर मेरठ व अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० ग्राम व पोस्ट [illegible] जिला गाजियाबाद व कोषाध्यक्ष एस० पी० सिंह पुत्र वेद सिंह नि० ग्राम व पोस्ट [illegible] जिला बागपत का नाम बैनामे के आधार पर संशुद्ध दर्ज हो।
ह० [illegible]
30/12/13

आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी रुड़की वाद सं० 185/08 / 15-4-08 अन्तर्गत धारा-143 आदेश हुआ कि चक सं० 253 के गा० सं० 871/0.090, 872/0.320 कुल 2 कि०/0.410 हे० भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है।
ह० [illegible]
29/5/08

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 02/1-1-015 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0013 व 8712/00576 कुल 00706 हे० से विक्रेता हरीश शर्मा पुत्र भरत सिंह नि० मेरठ व इरशाद खां पुत्र रियाज खां नि० ग्राम व रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास नि० देहरादून का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी हरीश शर्मा नि० मेरठ का नाम बै०सं० 4944 दि० 06-9-08 द्वारा बैनामा के आधार तथा उपरोक्त में से विक्रीत विक्रेता श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी हरीश शर्मा नि० मेरठ का नाम खारिज करके क्रेता गोपाल सिंह पुत्र शेर सिंह नि० ज्वालापुर का नाम बैनामा सं० 6669 दि० 9-12-014 के आधार संशोधन दर्ज हो।
4/11/015

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 40/11-12-015 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0013, 8712/00576 हे० में से 1/2 भाग यानि विक्रीत रकबा 353.39 वर्ग मी० से विक्रेता गोपाल सिंह पुत्र शेर सिंह नि० ज्वालापुर का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती इमराना पत्नी मो० याकूब नि० [illegible] व श्रीमती नसरीन पत्नी मसरूर नि० मोहल्ला [illegible] [illegible] [illegible] सहारनपुर का नाम बै०सं० 4428/15-10-015 के आधार विशेष कोटि में दर्ज हो।
18/12/015

आदेश श्रीमान स०च०अ० वाद सं० 328/31/8/017 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0013, 8712/00576 हे० कुल रकबा/00706 का आधा कुल 1/2 भाग में विक्रीत क्षे० 353.34 वर्ग मी० से विक्रेता गोपाल सिंह पुत्र शेरसिंह नि० कस्बा ज्वालापुर का नाम खारिज करके क्रेता रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र फकीरचन्द शर्मा नि० 425 आवास विकास कालोनी रुड़की का नाम बै०सं० 2825/5-7-017 के आधार संशोधन दर्ज हो।
29/12/017

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 441/13/8/2019 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0013, 8712/00576 हे० कुल रकबा/00706 हे० में विक्रीत क्षे० 34.15 वर्ग मी० से विक्रेता रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र फकीरचन्द नि० 425 आवास विकास कालोनी रुड़की का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] शर्मा, नि० आवास विकास कालोनी रुड़की का नाम बै०सं०/दान पत्र सं० 1810 8.5-019 के आधार संशोधन दर्ज हो।
16/8/2019

आदेशानुसार ना० तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/प्र०अ० चकबन्दी, प्रथम श्रेणी ज्वालापुर वाद सं० 44/18-19 दि० 25-7-019 धारा-143 ज०वि०अधि० (रमेश चन्द्र शर्मा बनाम सरकार) में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0-0130, 8712/0.0576 कुल रकबा/0-0706 हे० में से 233.53 वर्ग मी० भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है।
6/8/2019

② आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 386/17/4/2021 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0.130, 8712/1.382 हे० कुल रकबा/1.512 हे० भूमि के अपने भाग में से 0.223 हे० से विक्रेता हरीश शर्मा पुत्र भरत सिंह शर्मा नि० म०नं० 50 गली नं० 2 फूलबाग कालोनी मेरठ सिटी गांधी आश्रम मेरठ (उ०प्र०) व रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास नि० 16/1 चकराता रोड देहरादून का नाम खारिज करके क्रेता रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र फकीरचन्द शर्मा नि० मकान नं० 425 आवास विकास कालोनी रुड़की का नाम बै०सं० 1162/19-2-2021 के आधार पर संशोधन दर्ज हो।
19/4/2021

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 387/17/4/2021 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0130, 8712/1.382 कुल रकबा/1.512 हे० भूमि के अपने भाग में से 0.2630 हे० से विक्रेता हरीश शर्मा पुत्र स्व० भरत सिंह शर्मा नि० म०नं० 50 गली नं० 2 फूलबाग कालोनी मेरठ व रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास नि० मकान नं० 16/1 चकराता रोड देहरादून का नाम खारिज करके क्रेता कय्यूम पुत्र हाजी निवासी [illegible] ज्वालापुर का नाम बै०सं० 1163/19-2-2021 के आधार पर संशोधन दर्ज हो।
19/4/2021

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 649/28/8/2021 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0130, 8712/1.382 हे० कुल रकबा/1.512 हे० के अपने 1/3 भाग में से कुल रकबा 0.0398 हे० अर्थात 398.33 वर्ग मी० से विक्रेता रामगोपाल पुत्र जनार्दन दास नि० म०नं० 16/1 चकराता रोड देहरादून का नाम खारिज करके क्रेता उत्कर्ष समिति, 26 रायपुर रोड देहरादून हाल पता डा० सुशीला तिवारी जिला हल्द्वानी द्वारा सचिव निजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० एफ-829 गौर ग्रेन्डयोर सैक्टर-119 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर का नाम बै०सं० 3217/17-6-21 के आधार पर विशेष कोटि दर्ज हो तथा दूसरा बैनामा के उपरोक्त चक व खाता सं० व उपरोक्त रकबा यानि 398.33 वर्ग मी० से विक्रेता उपरोक्त व क्रेता उपरोक्त का नाम बै०सं० 3267/19-6-2021 के आधार पर विशेष कोटि दर्ज हो।
29/8/2021

आदेशानुसार स०च०अ० वाद सं० 650/28/8/21 धारा-12 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के खाता सं० 8711/0.130, 8712/1.382 कुल दो किता कुल रकबा 1.512 हे० में अपने 1/3 भाग में से कुल रकबा 0.0398 हे० से विक्रेता राव इरशाद पुत्र राव रियाज नि० ग्राम [illegible] का नाम खारिज करके क्रेता उत्कर्ष समिति 26 रायपुर रोड देहरादून हाल पता डा० सुशीला तिवारी जिला हल्द्वानी द्वारा सचिव निजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० एफ-829 गौर ग्रेन्डयोर सैक्टर-119 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०) का नाम बै०सं० 3131/14-6-21 के आधार पर विशेष कोटि दर्ज हो तथा दूसरा बैनामा के चक सं० व खाता सं० व रकबा 398.33 वर्ग मी० उपरोक्त से विक्रेता उपरोक्त व क्रेता उपरोक्त का नाम बै०सं० 3169/15-6-2021 के आधार पर विशेष कोटि दर्ज हो।
29/8/2021

P.T.O-③

प्रतिलिपि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 (भाग 1)

गांव/गांवों सिकन्दरपुर भैंसवाल परगना [illegible] तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार

चक सं./क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पितृ नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ग	भौमिक अधिकार के प्रारम्भ होने का वर्ष	जोत चकबन्दी आकार-पत्र (11 की खाता संख्या)	मूल जोत							स्तम्भ 11 के जोत पर योग X अंशदान या प्रतिशत/100	सार्वजनिक प्रयोजनों के हेतु अंशदान क्षेत्रफल में (स्तम्भ 13X19) (स्तम्भ 11)	माल गुजारी जो भूमि के अंशदान के कारण कम की जाये (स्तम्भ 14X स्तम्भ 12 स्तम्भ 6) जोत के योग पर	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रदत्त भूमि के प्रकार की धनराशि स्तम्भ 15 X धार 29 ख अधीन नियम गुणांक	प्रविष्ट किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन (स्तम्भ 1) जोत के योग	प्रस्तावित जोत					मालगुजारी	विशेष विवरण
					गाटा संख्या	कार्य क्षेत्र			विनिमय अनुपात	चकबन्दी किये जाने वाले अथवा गांव के भागों का आना मूल्यांकन	जोत की माल गुजारी						भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	मूल्यांकन (आनों में)		
						कुल जोत	जोत चकबन्दी में सम्मिलित नहीं है।	जोत चकबन्दी में सम्मिलित है।															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
२४३	उपरोक्त																						

आदेशानुसार स० च० अ० वाद सं० 651/28/8/2021 धारा 48 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के गा० सं० 87/1/0.130, 87/2/1.382 है० कुल 2 किता/1.512 है० में अपने 1/3 भाग में से कुल रकबई 0.0348 है० अर्थात 398-33 वर्ग मी० से विक्रेता हरीश शर्मा पुत्र भरत सिंह नि० म० नं० 50 गली नं० 2 फूलबाग कालोनी मेरठ उ० प्र० का नाम खारिज कर क्रेता उत्कर्ष समिति 26, रायपुर रोड देहरादून हाल पता डा० सुशीला तिवारी जिला हरिद्वार द्वारा सचिव नरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० सम्ज-829 गौर ग्रीन्डियोर सैक्टर 119 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उ० प्र०) का नाम बै० सं० 3196/16-6-21 के आधार पर विशेष श्रेणी दर्ज हो/ तथा दूसरा बैनामा के चक सं० व गा० सं० व रकबा 398.33 वर्ग मी० उपरोक्त से विक्रेता उपरोक्त व क्रेता उपरोक्त का नाम बै० सं० 3230/18-6-2021 के आधार पर विशेष श्रेणी में दर्ज हो/ ह० अ० 28/8/2021

आदेशानुसार स० च० अ० वाद सं० 669/27/7/22 धारा 48 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के गा० सं० 87/1/0.013, 87/2/0.0576 कुल 2 किता/0.0706 है० में से विक्रीत क्षे० 34.15 वर्ग मी० से विक्रेता पंकज शर्मा पुत्र रमेश चन्द शर्मा नि० 425 आवास विकास कालोनी कांधला का नाम खारिज कर क्रेता रमेशचन्द शर्मा पुत्र [illegible] शर्मा नि० 425 आवास विकास कालोनी कांधला का नाम बैनामा/दानपत्र सं० 3172/26-5-22 के आधार पर संक्रमणीय दर्ज हो/ ह० अ० 10/8/22

आदेशानुसार स० च० अ० वाद सं० 109/9/3/2022 धारा-5(5) (अकृषक [illegible]) में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के गा० सं० 87/1/0.130, 87/2/1.382 कुल 2 किता रकबई 1.512 है० में से 0.2530 है० भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आवासीय) निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवासीय निर्माण के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करेंगे। यह आदेश 60 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा/ ह० अ० 25/3/22

आदेशानुसार स० च० अ० वाद सं० 379/3/3/23 धारा 48 में आदेश हुआ कि चक सं० 243 के कुल गा० सं० 87/1/0.130 है०, 87/2/1.382 है० कुल 2 किता/1.512 है० के अपने भाग में से रकबई 0.1024 है० से विक्रेता राव इरशाद खाँ पुत्र राव रियाज खाँ नि० ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता यशपाल राणा पुत्र स्व० बलवीर सिंह नि० म० नं० 44 प्रवीन दयाल स्ट्रीट का नाम बै० सं० 291/11-1-2023 के आधार पर संक्रमणीय दर्ज हो/ ह० अ०

हस्ताक्षर नकलकर्ता

हस्ताक्षर मिलान कर्ता

03/10/2023

नवीन्द्र कुमार
चकबन्दी लेखपाल
सहायक चकबन्दी अधिकारी

03/10/2023

वीन्द्र कुमार
बन्दी लेखपाल
चकबन्दी अधिकारी